जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक मर्या० शहडोल (म.प्र.)

क्रमांक / फील्ड / 15–16 / 1 शहडोल दिनांक ......

प्रति,

1. शाखा प्रबंधक ....(समस्त)
2. लैम्पस प्रबंधक / सहायक ....(समस्त)

विषय :– रबी / खरीफ फसलों के ऋण वितरण हेतु नवीन निर्धारित ऋणमानों के सम्बंध में।

—000—

उपरोक्त विषयान्तर्गत जिला स्तरीय तकनीकी समूह की बैठक दिनांक 31.03.16 को मुकेश शुक्ला, कलेक्टर शहडोल की अध्यक्षता में आयोजित की गई थी, उक्त बैठक मे जिला विकास प्रबंधक नाबार्ड ,अग्रणी बैंक प्रबंधक, उप आयुक्त सहकारिता, उप संचालक कृषि ,सहा. संचालक उद्यान, कृषि वैज्ञानिक एवं जिले के प्रगतिशील किसान एवं बैंक के प्राधिकृत अधिकारी तथा बैंक के महाप्रबंधक उपस्थित रहे। बैठक में रबी / खरीफ तथा फलोद्यान फसलों के सम्बंध में चर्चा उपरान्त ऋणमान निर्धारित किये गये है। तकनीकी समिति की अनुसंशाओं का अनुमोदन बैंक के संचालक मण्डल की बैठक दिनांक 01.04.16 द्वारा किया गया है। जिसकी प्रति आपकी ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित की जा रही है।

अतः आपकी बैंक शाखा के कार्यक्षेत्र में आने वाले कृषकों की आवश्यकताओं को ध्यान में रख कर नवीन ऋण मान के अनुसार ऋण वितरण करना सुनिश्चित करें, जिससे जिले के कृषि उत्पादन में उत्तरोत्तर वृद्वि हो सके ।

संलग्न :– रबी / खरीफ फसल एवं फलोद्यान के ऋणमान 07 पेज

महाप्रबंधक
जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक मर्या०
शहडोल (म०प्र०)

क्रमांक / फील्ड / 15–16 / 1 शहडोल दिनांक 2/4/16

प्रतिलिपि :–

1. महाप्रबंधक, भारतीय रिजर्व बैंक कृषि ऋण विभाग भोपाल ।
2. महाप्रबंधक, राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड) क्षेत्रीय कार्यालय भोपाल ।
3. आयुक्त सहकारिता एवं पंजीयक सहकारी संस्थाऐं भोपाल (म.प्र.)।
4. कलेक्टर जिला शहडोल / उमरिया एवं अनूपपुर।
5. प्रबंध संचालक, म.प्र. राज्य सहकारी बैंक मर्यादित भोपाल ।
6. संयुक्त आयुक्त सहकारिता सहकारी संस्थायें शहडोल सम्भाग शहडोल।
7. जिला विकास प्रबंधक नाबार्ड जिला शहडोल / उमरिया / अनूपपुर।
8. जिला प्रबंधक ,लीड बैंक आफीसर शहडोल / उमरिया / अनूपपुर।
9. उपसंचालक, कृषि जिला शहडोल / उमरिया एवं अनूपपुर ।
10. शाखा प्रबंधक , म.प्र. राज्य सहकारी बैंक मर्यादित शाखा रीवा ।
11. उपायुक्त सहकारिता शहडोल एवं प्राधिकृत अधिकारी बैंक।
12. उप आयुक्त / सहायक आयुक्त सहकारिता उमरिया एवं अनूपपुर।
13. अध्यक्ष ,क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक शहडोल ।
14. सहायक संचालक उद्यान शहडोल।
15. समस्त व्यवसायिक बैंक शहडोल / उमरिया / अनूपपुर।
16. समस्त कक्ष प्रभारी बैंक , मुख्यालय शहडोल ।

महाप्रबंधक
जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक मर्या०
शहडोल (म०प्र०)

जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक मर्यादित शहडोल (म.प्र)

स्वीकृत ऋणमान वर्ष 2016–17 हेतु

तकनीकी समूह की बैठक पूर्व सूचनानुसार डॉ. मुकेश शुक्ला कलेक्टर शहडोल की अध्यक्षता में दिनांक 31.03.2016 को कलेक्ट्रेट शहडोल के समागार में मध्यान 3 बजे सम्पन्न हुई। जिसमें तकनीकी समिति के समस्त सदस्यों की उपस्थिति में समिति के संयोजक बी.एस.परते मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक मर्या. शहडोल द्वारा कृषि विभाग एवं उद्यानिकी से प्राप्त फसलवार उपज लागत के प्राप्त आंकड़ों को प्रस्तुत किया गया। तत्पश्चात निम्नानुसार ऋणमान वर्ष 16–17 हेतु निर्धारित किये गये।

विषय क्र.1 जिले में प्रचलित फसलों के ऋणमान निर्धारण किये जाने बावत्।

निर्णय क्र.1 कृषि विभाग शहडोल से कृषि उपज लागत एवं उत्पादन आय के आधार पर कृषि वैज्ञानिक शहडोल एवं जिला विकास प्रबंधक नाबार्ड तथा तकनीकी समिति के सदस्यों, प्रगतिशील किसानों एवं बैंकर्स से चर्चा उपरान्त जिले की तकनीकी समिति द्वारा मुख्य फसलों के उत्पादन लागत के आय के आधार पर एवं उपज के अनुसार विभिन्न फसलों के लिए ऋण मान प्रति हेक्टेयर दर से वर्ष 2016–2017 के लिये निम्नानुसार फसलवार ऋणमान निर्धारित किये जाते है। जिसकी स्वीकृत सर्व सम्मति की जाती है।

फसल ऋणमान (प्रति हेक्टेयर) वर्ष 2016–17

क्र0	फसल का नाम	उत्पादन प्रति है. (क्वि.)	दर प्रति क्वि रू. में	कुल उत्पादन मूल्य रू. में	ऋण अदायगी क्षमता उत्पादन मूल्य का 50%	स्वीकृत अल्पकालीन ऋण साख सीमा 70%	स्वीकृत मध्यकालीन ऋण साख सीमा 30%	योग (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	धान (सिंचित)	50	1500	75000	37500	26250	11250	37500
2	धान (असिंचित)	40	1500	60000	30000	21000	9000	30000
3	शकंर मक्का	40	1000	40000	20000	14000	6000	20000
4	मूँग/उड़द .	12	5000	60000	30000	21000	9000	30000
5	अरहर	14	5000	70000	35000	24500	10500	35000
6	सोयाबीन	25	3000	75000	37500	26250	11250	37500
7	सोयाबीन	25	3000	75000	37500	26250	11250	37500
8	कोदो–कुटकी	25	1500	37500	18750	13125	5625	18750
9	रमतिला	12	8000	96000	48000	33600	14400	48000
10	ज्वार	22	1000	22000	11000	7700	3300	11000
11	तिल	9	6000	54000	27000	18900	8100	27000
12	गेहूँ (सिंचित)	45	1500	67500	33750	23625	10125	33750
13	गेहूँ (अर्द्धसिं)	35	1600	56000	28000	19600	8400	28000
14	चना (सिंचित)	25	4000	100000	50000	35000	15000	50000
15	चना (असिंचि)	20	4000	80000	40000	28000	12000	40000
16	अलसी/राई/सरसों	12	5000	60000	30000	21000	9000	30000
17	मसूर	12	5000	60000	30000	21000	9000	30000

नोट :– अल्पकालीन ऋण के लिये स्वीकृत साख सीमा में 60 प्रतिशत नगद एवं 40 प्रतिशत वस्तु ऋण के रूप में दिया जा सकेगा, वस्तु ऋण साख सीमा को नगद में वितरण नहीं किया जायेगा।

जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक मर्यादित शहडोल (म.प्र)

स्वीकृत ऋणमान वर्ष 2016–17 हेतु

विषय क्र. 2 जिले में प्रचलित साग–सब्जी, मसाला फसलों के ऋणमान निर्धारित किये जाने बावत्।

निर्णय क्र.2 जिला शहडोल की तकनीकी समिति द्वारा वर्ष 2016–17 के लिए उद्यानिकी विभाग शहडोल से साग–सब्जियों के उत्पादन हेतु इकाई लागत एवं उत्पादन आय को आधार मानते हुए तकनीकी समिति की चर्चा उपरान्त विभिन्न फसलों के लिए ऋण मान वर्ष 2016–17 हेतु निम्नानुसार निर्धारित किये गये.जिसकी तकनीकी समिति द्वारा सर्वसम्मति से स्वीकृत प्रदान की गयी।

फसल ऋणमान (प्रति हेक्टेयर) वर्ष 2016–17

क0	फसल का नाम	उत्पादन प्रति है. (क्वि.)	दर प्रति क्विं. रू. में	कुल उत्पादन मूल्य रू. में	ऋण अदायगी क्षमता उत्पादन मूल्य का 50%	स्वीकृत अल्पकालीन ऋण साख सीमा 70%	स्वीकृत मध्यकालीन ऋण साख सीमा 30%	योग (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	आलू	220	1600	352000	176000	123200	52800	176000
2	प्याज	300	1000	300000	150000	105000	45000	150000
3	मिर्च	120	2200	264000	132000	92400	39600	132000
4	टमाटर	450	600	270000	135000	94500	40500	135000
5	गोभी	300	600	180000	90000	63000	27000	90000
6	भिण्डी	150	800	120000	60000	42000	18000	60000
7	बैंगन	400	700	280000	140000	98000	42000	140000
8	कद्दू वर्गीय	350	500	175000	87500	61250	26250	87500
9	अदरक	150	2500	375000	187500	131250	56250	187500
10	हल्दी	150	2500	375000	187500	131250	56250	187500
11	लहसून	200	1500	300000	150000	105000	45000	150000
12	मटर	120	1000	120000	60000	42000	18000	60000

नोट :–1. अल्पकालीन ऋण के लिये स्वीकृत साख सीमा में 60 प्रतिशत नगद एवं 40 प्रतिशत वस्तु ऋण के रूप में दिया जा सकेगा, वस्तु ऋण साख सीमा को नगद में वितरण नही किया जाये।

2. साग सब्जी का साख सीमा स्वीकृत करने के पूर्व शाखा प्रबंधक को स्थल निरीक्षण करना अनिवार्य होगा, सत्यापन पश्चात ही ऋण स्वीकृत किया जाना संभव होगा।

3. साग सब्जी का ऋण वितरण 0.500 हेक्टर भूमि आवश्यक हैं। इससे कम भूमि पर ऋण स्वीकृत किया जाना संभव नही होगा। साथ ही क्र.9,10,11 के लिये प्रथम वर्ष में एक एकड़ भूमि पर ही ऋण दिया जाये।

जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक मर्यादित शहडोल (म.प्र)

विषय क्र. 3 ऋण अदायगी क्षमता का निर्धारण।

निर्णय क्र.3 कृषक सदस्यो की ऋण अदायगी क्षमता का आंकलन उक्तानुसार उनके द्वारा उत्पादित कुल उपज का 35 प्रतिशत अल्पावधि ऋण एवं 15 प्रतिशत मध्यावधि ऋण हेतु फसल ऋण की अदायगी क्षमता प्रति हेक्टेयर निर्धारित की जाती है। साथ ही बिपुल उत्पादन कार्यक्रम में भाग लेने के लिए अल्पावधि ऋण उपलब्ध कराया जावेगा। अल्पावधि ऋण की दरें सामान्य अल्पावधि ऋण के माफिक इसके अतिरिक्त यदि कृषि विभाग द्वारा दरो में परिवर्तन की जाती है तो उस अनुरूप ऋण उपलब्ध कराया जावेगा।

सहकारिता आयुक्त एवं पंजीयक सहकारी समितियां म.प्र. भोपाल द्वारा पत्र क्र./4364 दिनांक 29.12.99 एवं अपर पंजीयक भोपाल का पत्र क्र./3762 दिनांक 27.08.01 द्वारा किसान क्रेडिट कार्डधारी एव आयुक्त सहकारिता एवं पंजीयक सहकारी संस्थाएं म.प्र. भोपाल का पत्र क्रमांक/साख/रिपोर्ट/07/2004/3259 दिनांक 14.07.04 के अनुसार प्रति व्यक्ति पात्रतानुसार अधिकतम् अल्पावधि ऋण सीमा निम्नानुसार निर्धारित की जाती है :-

फसल ऋणमान (प्रति हेक्टेयर) वर्ष 2016–17

क्र.	विवरण	अधिकतम् ऋण सीमा पात्रता के अन्तर्गत (राशि रूपये में)
		योग
1.	किसान क्रेडिट कार्डधारी कृषक को	300000

विषय क्र. 4 :— ऋण वितरण का समय निर्धारण

निर्णय क्र. 4 :— सदस्यो को अल्पावधि ऋण नकदी एवं वस्तु रूप में वितरण किया जाता है, जिले की विभिन्न फसलो को दृष्टिगत रखते हुए निम्नानुसार ऋण वितरण एवं उसकी अदायगी का समय निर्धारित किया जाता है, किन्तु यदि सदस्य चाहे तो आवश्यक्तानुसार खरीफ एवं रबी फसल के नगद ऋण एक साथ ले सकेंगे। लेकिन किसी भी परिस्थिति में 12 माह से अधिक समय की देय तिथि न होगी। ऋण वितरण का समय निम्नानुसार होगा :—

क्र.	नाम फसल	ऋण वितरण का समय
01	खरीफ	01.अप्रैल से 30 सितम्बर तक
02.	रबी	01 अक्टूबर से 31 मार्च तक

अल्पावधि ऋण अदायगी/ऋण वसूली की देय तिथियॉ

क्र.	नाम फसल	सदस्यो द्वारा समितियो को ऋण भुगतान करने का दिनांक	संस्था द्वारा बैंक को ऋण भुगतान करने का दिनांक
01	खरीफ	28 मार्च	31 मार्च
02.	रबी	15 जून	30 जून

विषय क्र.5:—मध्यकालीन एवं दीर्घकालीन ऋण के लिए मापदण्ड का निर्धारण

टीप क्र.5:— सदस्यो को मध्यकालीन एवं दीर्घकालीन ऋण हेतु उनकी ऋण अदायगी क्षमता का मापदण्ड सदस्यो के कुल उपज मूल्य के आधार पर प्रति हेक्टयर 15 प्रतिशत प्रति इकाई अधिकतम् ऋण का निर्धारण म.प्र. राज्य सहकारी बैंक मर्यादित भोपाल का पत्र क्रमांक/म.प्र. मुख्या. 30/टी.सी. 104/1374 भोपाल दिनांक 10/12.05.05 के साथ क्षेत्रीय कार्यालय राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक भोपाल द्वारा समय–समय पर जारी परिपत्र के अनुसार ईकाई लागत निम्नानुसार अधिकतम सीमा के अन्तर्गत विभिन्न योजनाओ के अन्तर्गत पात्रता एवं निर्धारित मापदण्डो के अधीन ऋण वितरण किये जाने का निर्णय लिया जाता है।

विवरण निम्नानुसार है :—

क्र.	मध्यकालीन एवं दीर्घकालीन ऋण का प्रकार	इकाई		अधिकतम निर्धारित इकाई लागत	ऋण अदायगी की अवधि	विवरण
		संख्या	आकार (साइज)			
1	2	3	4	5	6	7
1	थ्रेसर मोटर सहित	एक	5 H.P.	अधिकृत डीलर के कोटेशन अनुसार	11–15 वर्ष	
2	थ्रेसर मोटर सहित	एक	7-5 H.P.	"	"	
3	थ्रेसर मोटर सहित	एक	10 H.P.	"	"	
4	डेयरी फार्म दुधारू जर्सी गाय (क्रासवीड)	दो	8 ली. दूध देने वाली	90000.00	5 से 6	
5	डेयरी फार्म दुधारू मुर्रा भैंस	दो	7 ली. दूध देने वाली	140000.00	"	
6	समर्सियल पम्प	एक	कोटेशन अनुसार	कोटेशन अनुसार.	11 से 15 वर्ष	
7	ट्रेक्टर ट्राली	एक	दो उपकरण सहित	–"–	9 वर्ष	
8	ट्यूब बेल (नलकूप)	एक	कोटेशन अनुसार	–"–	"	

विषय क्र. 6 :–किसान क्रेडिट कार्ड योजना

टीप क्र. 6 :– आयुक्त सहकारिता एवं पंजीयक सहकारी संस्थाए म.प्र. भोपाल का पत्र क्रमांक/साख/रिर्पोट/07/2004/3259, दिनांक 14.07.2004/15.04.2004 के अनुसार प्रत्येंक कृषक को किसान क्रेडिट कार्ड के माध्यम से ही ऋण वितरण किया जाना है।

01. समितियों के कृषक सदस्यों को किसान क्रेडिट कार्ड जारी किया जाना है, अर्थात् चाहे वह कालातीत सदस्य हो अथवा अकालातीत सदस्य हो। कालातीत सदस्यों को जारी किसान क्रेडिट कार्ड में बकाया कालातीत ऋण का उल्लेख किया जावे उनके द्वारा कालातीत ऋण चुकौती पश्चात् ही नवीन ऋण पात्रतानुसार आहरण की सुविधा प्रदान की जावेगी।

02. क्रेडिट कार्ड योजना का संचालन समिति स्तर से किया जाना है संस्था स्तर पर सदस्य के ऋण खाते पर सदस्य को स्वीकृत नकद व वस्तु ऋण सीमा स्पष्ट अंकित किया जावेगा। साख–सीमा से परिचालन हेतु सदस्यों को चेंक बुक दी जावेगी। इस चेक के आधार पर ही सदस्य द्वारा ऋण का लेन–देन किया जावेगा। सदस्य की फोटो एवं हस्ताक्षर नमूना लिया जावेगा। क्रेडिट कार्ड धारी ऋणी सदस्याों के लिए संस्था पर पृथक से ऋण लेजर रखे जावेगे। कृषक सदस्य द्वारा नकद ऋण राशि भी उसके ऋण खाते एवं पास बुक में तत्काल प्रवृष्टि की जावेगी।

03. बैंक शाखा द्वारा सभी समितियों को इस योजना के अन्तर्गत एक विशेष क्रेडिट कार्ड नकद साख सीमा स्वीकृत की जावेगी साख–सीमा का निर्धारित संबंधित समिति द्वारा क्रेडिट कार्ड योजनान्तर्गत सदस्यों को स्वीकृत नकद साख–सीमा के 50 प्रतिशत तक किया जावेगा। समिति प्रबंधक एवं शाखा प्रबंधक का दायित्व होगा कि वे उक्त विशेष साख–सीमा खातें में शेष राशि का समायोजन अधिकतम तीन दिन की अवधि में सुनिश्चित करायें। उक्त विशेष साख–सीमा खाते पर अल्पकालीन साख सीमा हेतु प्रचलित ब्याज दर के आधार पर ही ब्याज की गणना की जावेगी। शाखा द्वारा उक्त साख–सीमा के दस्तावेज एवं प्रोनोट स्वीकृत साख–सीमा की राशि का एकबार प्रथम आहरण के पूर्व ले लिया जावेगा। कैश क्रेडिट की भांति समस्त दस्तावेज एवं लोन एग्रीमेन्ट आदि एक मुश्त निष्पादित कराये जावेगें यह विशेष साख–सीमा एक वर्ष के लिये यानी 1 अप्रैल से 31 मार्च तक के लिये होगी। प्रति वर्ष नवीनीकरण कराना आवश्यक होगा।

04. किसान क्रेडिट कार्ड योजनान्तर्गत वस्तु ऋण का प्रदाय क्रेडिट कार्डधारी सदस्य द्वारा समिति से वस्तु ऋण के रूप में रासायनिक खाद–बीज कीटनाशक दवाई आदि के लिए जाने पर वस्तु मूल्य के आधार पर चेक समिति के पक्ष में जारी किया जावेगा। समिति द्वारा उक्त चेक के आधार पर कृषको को वस्तु ऋण दिया जाकर निर्धारित प्रपत्र पर पावती ली जावेगी। पावती के आधार पर समायोजन शाखा स्तर पर शीघ्र सुनिश्चित कराया जावेगा। कृषक सदस्य को पात्रतानुसार अधिकतम सीमा वस्तु ऋण रूपये 150000.00 तक ही उपलब्ध कराया जावेगा। यदि वस्तु के रूप में प्राप्त किये गये ऋण का भुगतान सदस्य द्वारा कर दिया जाता है तो उसे उपलब्ध मार्जिन के आधार पर पुनः वस्तु ऋण पाने की पात्रता होगी परन्तु प्रदत्त किये गये वस्तु ऋण के कुल आहरण का किसी भी सदस्य को नार्मल क्रेडिट लिमिट पत्रक में उसकी पात्रता से अधिक नही स्वीकृत किये जावेगे।

विषय क्र. 7 :–मछली पालन/बीज (सोपान) हेतु के.सी.सी. ऋण वितरण :–

टीप क्र. 7 :– मत्स्य विभाग की योजना/शासन की योजनानुसार मछुआरों/मछुआ कृषकों को मछली पालन, मछली बीज (सोपानों) के संवर्धन हेतु शासन/विभाग की योजनानुसार किसान क्रेडिट कार्ड ऋण वितरण किया जावेगा व शासन की योजनानुसार ब्याज अनुदान की पात्रता होने व ऋण क्षमता एवं अदायगी योजनानुसार करनी होगी।

तत्पश्चात आज की बैठक समाप्त की जाती है।

सही
मुख्यकार्यपालन अधिकारी
जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक मर्यादित
शहडोल (म.प्र.)

सही
प्राधिकृत अधिकारी
जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक मर्यादित
शहडोल (म.प्र.)